चुनाव

वोट देने के लिए पंजीकरण कराने के बारे में पूरी आवश्यक जानकारी।

न्यूज़ीलैंड के संसदीय चुनाव में वोट देने के लिए आपका पंजीकृत होना ज़रूरी है
अधिक जानकारी के लिए 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर कॉल करें
या www.elections.org.nz देखें

न्यूज़ीलैंड में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार नई संसद और सरकार चुनने के लिए आम चुनाव कराये जाते हैं। समन्वित सदस्य आनुपातिक (Mixed Member Proportional) MMP चुनाव प्रणाली में मतदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को दो वोट देने होते हैं। एक वोट आपकी पसंदीदा पार्टी के लिए होता है। दूसरा उस व्यक्ति के लिए होता है जिसे आप अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बनाना चाहते हैं।
आप किस मतदाता क्षेत्र में रखे जायेंगे, इसका फ़ैसला आपके घर के पते से होता है। यहाँ सामान्य और माओरी, दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक नाम सूची होती है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और आप पंजीकरण के काबिल हैं तो क़ानूनन आपका नाम मतदाता सूची में होना ही चाहिए। यदि आप 17 वर्ष के हैं तो आप संभावित मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करा लेने के बाद आपको अपना विवरण लगातार, अद्यतन करते रहना चाहिए। मतदाता सूची तैयार करना न्यूज़ीलैंड पोस्ट लिमिटेड (New Zealand Post Ltd) के लिए काम करने वाले मतदाता पंजीयकों (Registrars of Electors) की ज़िम्मेदारी होती है।

मतदाता पंजीकरण के बारे में इन प्रश्नों के उत्तर अंदर दिये गये हैं

मत देने के लिए पंजीकरण पृष्ठ 3

क्या मैं पंजीकरण कराने योग्य हूँ?
क्या मैं पंजीकरण कराने के अयोग्य हूँ?
मैं पंजीकरण क्यों कराऊँ?
मैं पंजीकरण कैसे कराऊँ?
पंजीकरण फ़ॉर्म कहाँ से प्राप्त करूँ?
क्या मैं इंटरनेट से पंजीकरण या अपना ब्योरा अद्यतन करा सकता हूँ?
क्या मैं 18 वर्ष का होने से पूर्व पंजीकरण करा सकता हूँ?
मैं विकलांग हूँ। क्या मुझे पंजीकरण कराने में मदद मिल सकती है?
मेरे परिवार के लोग या मित्र विदेशों में रहते हैं। क्या मैं उनका पंजीकरण करा सकता हूँ?
अप्रकाशित मतदाता सूची क्या है?
पंजीकरण फ़ॉर्म भरकर भेजने के बाद क्या होता है?
मुझे क्या सूचनायें देनी पड़ती हैं?

माओरी पंजीकरण पृष्ठ 6

माओरी मतदाता विकल्प (Maori Electoral Option)?
मैं न्यूज़ीलैंड का माओरी हूँ। मुझे कैसे चुनना है कि मेरा नाम किस सूची में हो?
यदि मैं पहली बार पंजीकरण कराने वाला/वाली माओरी हूँ?
माओरी मतदाता विकल्प कब-कब दिया जाता है?
मैं प्रशांत महासागर के द्वीपों का निवासी पॉलिनीशियन हूँ। क्या मैं माओरी नाम सूची में शामिल हो सकता/सकती हूँ?

मतदाता सूचियाँ पृष्ठ 7

संसदीय मतदाता सूची क्या है?
मतदाता सूची कहाँ देखी जा सकती है?
मतदाता संबंधी जानकारी का उपयोग किस काम में होता है?

मतदाता विवरण को अद्यतन रखना पृष्ठ 7

यदि मेरा पता बदलता है, तो मैं क्या करूँ?
यदि मैं अपना नाम या पेशा बदलता/बदलती हूँ, तो क्या करूँ?
यदि मैं अपना ब्योरा अद्यतन करना भूल जाऊँ तो क्या होगा?

अद्यतन पंजीकरण अभियान पृष्ठ 8

अद्यतन पंजीकरण अभियान क्या है?
अद्यतन पंजीकरण अभियान के समय मुझे क्या करना है?
यदि मैं अपना पंजीकरण अद्यतन फ़ॉर्म वापस न भेजूँ तो क्या होगा?
यदि मुझे अपने पते पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पंजीकरण अद्यतन फ़ॉर्म मिले, जो अब वहाँ नहीं रहता, तो क्या करना चाहिए?
यदि मुझे पंजीकरण अद्यतन फ़ॉर्म न मिले तो क्या करना होगा?

निर्वाचन क्षेत्र की सीमायें पृष्ठ 9

मेरा पता नहीं बदला है लेकिन मुझे एक अलग निर्वाचन क्षेत्र में रखा गया है। ऐसा क्यों हुआ है?

अन्य चुनाव पृष्ठ 9

संसदीय उपचुनाव क्या है?
स्थानीय चुनाव क्या है?
क्या मुझे नागरिकों द्वारा कराये जा रहे जनमत संग्रह (Citizens Initiated Referenda) तथा/अथवा सरकार द्वारा कराये जा रहे जनमत संग्रह (Government Initiated Referenda) में वोट देने का अधिकार है?

अन्य जानकारी पृष्ठ 10

मुझे और जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है?
क्या यह जानकारी मुझे अन्य भाषाओं में प्राप्त हो सकती है?

परिचय
वोट देने के लिए पंजीकरण

क्या मैं पंजीकरण कराने योग्य हूँ?

आप पंजीकरण कराने योग्य हैं और क़ानून के अनुसार आपको पंजीकरण कराना आवश्यक है, यदि:

- आप न्यूज़ीलैंड के नागरिक हैं या न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासी हैं, और,
- आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, और,
- आप न्यूज़ीलैंड में, किसी समय, लगातार एक वर्ष से अधिक समय रह चुके हैं, और,
- आप अयोग्य घोषित नहीं किये गये हैं।

क्या मैं पंजीकरण कराने के अयोग्य हूँ?

आप पंजीकरण नहीं करा सकते यदि:

- आप न्यूज़ीलैंड के नागरिक हैं लेकिन न्यूज़ीलैंड से बाहर रहते हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूज़ीलैंड नहीं आये हैं।
- आप न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन न्यूज़ीलैंड से बाहर रहते हैं और पिछले 12 महीनों के दौरान न्यूज़ीलैंड नहीं आये हैं।

(नोटः इन दोनों नियमों के अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए न्यूज़ीलैंड से बाहर ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी या रक्षा बलों के सदस्य तथा उनके परिवार के लोग।)

इसके अलावा, अयोग्य घोषित किये जाने के कुछ अन्य आधार हैं, जिनसे बहुत कम संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के किसी आधार से प्रभावित लोगों के बारे में मतदाता पंजीयकों को सूचित किया जाता है। यदि अयोग्यता के इन अन्य आधारों के बारे में आपके कोई प्रश्न या चिंतायें हैं तो 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.elections.org.nz देखें।

मैं पंजीकरण क्यों कराऊँ?

यदि आप पंजीकरण कराने योग्य हैं तो आपको पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराने से आपको वोट देने का अवसर मिलता है। वोट देने से आपको, प्रत्येक आम चुनाव में न्यूज़ीलैंड की संसद में कौन से लोग और कौन सी पार्टी चुनी जाये, इसके बारे में अपनी राय देने का मौका मिलता है। आपको स्थानीय परिषद और ज़िला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों में और किसी भी जनमत संग्रह या मतदान में वोट देने का भी मौका मिलता है।

मैं पंजीकरण कैसे कराऊँ?

"वोट देने के लिए पंजीकरण: आवेदन" नामक पंजीकरण फ़ॉर्म भरें। मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने के लिए आवेदन करना आवश्यक है, भले ही आप वोट न दें।

यदि आप न्यूज़ीलैंड के माओरी हैं, या न्यूज़ीलैंड माओरी के वंशज हैं, और पहली बार पंजीकरण करा रहे हैं, तो आप इस आवेदन में यह भी बता सकते हैं कि आप किस मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहेंगे। आप माओरी अथवा सामान्य मतदाता नाम सूची में से कोई एक चुन सकते हैं।

मैं पंजीकरण फ़ॉर्म कहाँ से प्राप्त करूँ?

- इस पुस्तिका के पीछे दिया कूपन भर कर भेजें और हम आपको फ़ॉर्म भेज देंगे।
- ये पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) से निःशुल्क मिलते हैं।
- हमें 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर निःशुल्क कॉल करें और हम आपको भेज देंगे।
- अपना नाम और पता 3676 पर फ्रीटेक्स्ट (FreeText) करें और हम आपको भेज देंगे।
- हमारी वेबसाइट www.elections.org.nz से अनुरोध करें या प्रिंट करें।

फ़ॉर्म भरने के बाद उसे किसी भी पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) में दे दें या डाक से (टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है) इस पते पर भेज दें:

Freepost 2 Enrol
Electoral Enrolment Centre
P O Box 190
Wellington 6140

क्या मैं इंटरनेट से पंजीकरण या अपने ब्योरे को अद्यतन करा सकता हूँ?

हाँ, बस हमारी वेबसाइट - www.elections.org.nz पर जायें और “एनरोल, चेक या अपडेट - यहाँ करें!” ("Enrol, check or update – Do it here!") बटन पर क्लिक करें। अपना पंजीकरण ब्योरा भरने के निर्देशों का पालन करें। इसके बाद आप पंजीकरण फ़ॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपका विवरण पहले से ही भरा होगा। बस, इस पर हस्ताक्षर करें और भेज दें।

एक और तरीका यह है कि आप वेबसाइट पर ब्योरा दें और हम आपको पहले से प्रिंट किया हुआ व्यक्तिगत पंजीकरण फ़ॉर्म भेजेंगे। आप उसे जाँच लें, हस्ताक्षर करें और भेज दें। पंजीकरण संबंधी अपने ब्योरे की आप ऑन लाइन भी जाँच कर सकते हैं।

क्या 18 वर्ष के होने से पहले पंजीकरण करा सकते हैं?

हाँ, 17 वर्ष पूरा होते ही आप पंजीकरण फ़ॉर्म भरकर “संभावित पंजीकरण” करा सकते हैं। जब आप 18 वर्ष के होंगे तो स्वतः पंजीकृत हो जायेंगे।

अधिक जानकारी, हमारी पुस्तिका “18 वर्ष से पहले मतदान के लिए पंजीकरण” में उपलब्ध है। यह पुस्तिका किसी भी पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) से मिल सकती है, या फिर 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर कॉल करें।

मैं विकलांग हूँ। क्या मुझे पंजीकरण कराने में मदद मिल सकती है?

यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं और आपको अपना पंजीकरण फ़ॉर्म भरने और भेजने में मदद की आवश्यकता है तो यह कर सकते हैं कि:

- किसी पंजीकृत मतदाता से अपना फ़ॉर्म भरवायें और हस्ताक्षर करवायें। उन्हें आपके फ़ॉर्म पर अपने हस्ताक्षर के पास लिखना होगा “मतदाता शारीरिक रूप से विकलांग है - उसके निर्देश पर हस्ताक्षर” ("Elector Physically Disabled – signed by their direction")।
- या, आप किसी ऐसे व्यक्ति से फ़ॉर्म भरवा सकते हैं और हस्ताक्षर करवा सकते हैं, जिसे आपकी ओर से पावर ऑफ़ अटॉर्नी प्राप्त हो। उन्हें फ़ॉर्म पर अपने हस्ताक्षर के पास लिखना होगा “मतदाता शारीरिक रूप से विकलांग है - पावर ऑफ़ अटॉर्नी” ("Elector Physically Disabled – Power of Attorney")।

यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है तो आप उसका पंजीकरण करा सकते हैं। विवरण के लिए 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर हमें निःशुल्क कॉल करें।

मेरे परिवार के सदस्य या मित्र विदेश में हैं। क्या मैं उन्हें पंजीकृत करा सकता/सकती हूँ?

हाँ, बशर्ते वे अब भी पंजीकरण कराने योग्य हों, तो आप उनका पंजीकरण फ़ॉर्म भर सकते हैं। आप यह कर सकते हैं कि:

- यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं तो आप उनका फ़ॉर्म भरकर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको उनके फ़ॉर्म पर अपने हस्ताक्षर के पास लिखना होगा “मतदाता विदेश में है - उसके निर्देश पर हस्ताक्षर” ("Elector overseas – signed by their direction")।
- या, यदि आपके पास उनका दिया पावर ऑफ़ अटॉर्नी है तो आप उनका फ़ॉर्म भर कर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको फ़ॉर्म पर अपने हस्ताक्षर के पास लिखना होगा “मतदाता विदेश में है - पावर ऑफ़ अटॉर्नी” ("Elector Overseas – Power of Attorney")।

वोट देने से पहले आपका पंजीकृत होना ज़रूरी है।

अप्रकाशित मतदाता सूची क्या है?

यदि आपको लगता है कि मतदाता सूची में आपका ब्योरा प्रकाशित होने से आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है, तो आप यह अनुरोध कर सकते हैं कि आपका ब्योरा प्रकाशित सूची में न दिया जाये। इसके लिए आपको अलग आवेदन करना होगा और अपनी परिस्थितियों के बारे में कुछ प्रमाण भी देने होंगे जैसे कि सुरक्षा आदेश, प्रतिबंध आदेश, या पुलिसकर्मी द्वारा नियमानुसार घोषणा।

अधिक जानकारी और आवेदन फ़ॉर्म हमारी पुस्तिका “अप्रकाशित मतदाता सूची के बारे में जो कुछ आपको जानना ज़रूरी है” ("Everything you need to know about the unpublished electoral roll") में उपलब्ध हैं। यह पुस्तिका किसी भी पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) से उपलब्ध है, या फिर इसे मँगाने के लिए 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर कॉल करें।

आवेदन फ़ॉर्म भरकर भेजने के बाद क्या होगा?

आपके मतदाता पंजीयक जाँच करेंगे कि फ़ॉर्म सही ढंग से भरा गया है। यदि यह सही पाया गया तो आपका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की सूची में दर्ज हो जायेगा, जहाँ आप अंतिम बार कम से कम एक महीने रह चुके हैं। हम आपके पंजीकरण की पुष्टि की सूचना आपको डाक से भेज देंगे।

अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) या देखें www.elections.org.nz

मुझे क्या जानकारी देनी है?

कृपया पंजीकरण फ़ॉर्म में दिये गये सभी प्रश्नों के उत्तर दें ताकि हम आपका सही पंजीकरण कर सकें। मतदाता सूची में केवल (*) तारांकित सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी।

*आपका पूरा नामः
आपका सही पंजीकरण कराने और मिलते-जुलते नाम वाले लोगों से अलग पहचान बनाने के लिए यह ज़रूरी है।

जन्म तिथिः
इससे आपके मतदाता पंजीयक को पता चलता है कि आपकी उम्र पंजीकरण कराने योग्य है और एक ही नाम वाले लोगों के बीच आपकी अलग पहचान भी होती है।

हस्ताक्षर और तारीख़ः
यदि आप न्यूज़ीलैंड के माओरी हैं या न्यूज़ीलैंड माओरी के वंशज हैं तो आपको माओरी पैनल में **या** सामान्य पैनल में हस्ताक्षर और तारीख़ अवश्य डालनी है। **दोनों में हस्ताक्षर न करें**। यह आवश्यक है कि आप सावधानी से चुनाव करें कि आप किस सूची में रहना चाहते हैं। अन्य सभी लोगों को सामान्य पैनल में हस्ताक्षर और तारीख़ डालनी है। यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं या विदेश में हैं, तो आपकी ओर से आवेदन पर कोई और व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है।

*निवास का पता
यह आपके घर का पता है। केवल न्यूज़ीलैंड पोस्ट बॉक्स या रूरल डिलीवरी नंबर पर्याप्त नहीं है। हमें आपके घर का पूरा पता चाहिए ताकि हम आपके निवास के निर्वाचन क्षेत्र में आपका पंजीकरण कर सकें।

आपका “निवास” वह होता है, जहाँ आप पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों से या अन्य घरेलू या व्यक्तिगत कारणों से रहते हैं। अगर आप उस स्थान से कभी-कभी या अस्थायी तौर पर अनुपस्थित भी रहते हों, तो उसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह आपका निवास नहीं है। अपनी

नौकरी या शिक्षा (या अपने पति/पत्नी की नौकरी या शिक्षा) के कारण निवास से अनुपस्थिति रहने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपका निवास वहीं हैं, जिसे आप घर समझते हैं।

डाक का पता:
इसकी ज़रूरत तब होती है यदि आपका पत्र-व्यवहार का पता आपके निवास के पते से अलग हो। हम आपके पंजीकरण की पुष्टि पत्र द्वारा करते हैं।

*पेशा:
इससे भी हमें एक ही नाम वाले लोगों के बीच अंतर करने में मदद मिल सकती है। इसे अक्सर प्रकाशित सूची में संक्षिप्त रूप में दिखाया जाता है।

क्या आप माओरी हैं?
केवल न्यूज़ीलैंड के माओरी या न्यूज़ीलैंड माओरी के वंशज इस प्रश्न के उत्तर में “हाँ” पर निशान लगायें। अन्य सभी लोगों को “नहीं” पर निशान लगाना है।

फ़ोन नंबर:
हमें आपसे संपर्क करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।

स्केच मैप:
अगर आप बिना नंबर के किसी पते पर रहते हैं तो आपका सही निर्वाचन क्षेत्र चुनने के लिए, हमें आपके निवास का स्थान दिखाने वाले स्केच मैप की ज़रूरत होगी।

क्या आपने हाल में अपना पता बदला है?
यदि आप अपने वर्तमान निवास में एक महीने से कम समय से रह रहे हैं, तो कृपया इन पैनलों को भरें।

प्रवासी न्यूज़ीलैंडर:
इन पैनलों को तभी भरें यदि आप विदेश में हैं। कृपया लिखें कि आप न्यूज़ीलैंड में कब तक थे, कब विदेश गये और न्यूज़ीलैंड छोड़ने से पहले कम से कम एक महीने तक किस पते पर रहते थे।

माओरी पंजीकरण

माओरी मतदाता विकल्प?

यदि आप न्यूज़ीलैंड के माओरी हैं, या न्यूज़ीलैंड माओरी के वंशज हैं, तो आप सामान्य या माओरी मतदाता सूची में से किसी एक को चुन सकते हैं।

मैं न्यूज़ीलैंड माओरी हूँ। मैं किस मतदाता सूची को चुनूँ?

हर पाँच वर्ष बाद, मतदान सूची में शामिल हर उस व्यक्ति को एक माओरी मतदाता विकल्प फ़ॉर्म भेजा जाता है, जिसने कहा हो कि वह न्यूज़ीलैंड माओरी मूल का है। इस फ़ॉर्म से आप यह चुनाव कर सकते हैं कि आप माओरी मतदाता सूची में रहना चाहते हैं या सामान्य सूची में। इसे माओरी मतदाता विकल्प अभ्यास कहा जाता है।

यदि मैं पहली बार पंजीकरण कराने वाला माओरी हूँ, तो?

यदि आप न्यूज़ीलैंड के माओरी हैं, तो पंजीकरण फ़ॉर्म में उपयुक्त पैनल पर हस्ताक्षर करके यह चुन सकते हैं कि आप किस प्रकार की सूची में रहना चाहते हैं। एक बार चुनाव कर लेने के बाद आप अगले माओरी मतदाता विकल्प अभ्यास तक उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

माओरी मतदाता विकल्प कब-कब दिया जाता है?

माओरी मतदाता विकल्प, आम तौर पर पाँच साल में एक बार, चार महीने की अवधि के दौरान दिया जाता है। इसमें माओरी मतदाताओं को अपनी मतदाता सूची की समीक्षा करने और उसमें परिवर्तन करने का मौका दिया जाता है।

मैं प्रशांत महासागर के द्वीपों का पोलनीशियन हूँ। क्या मैं माओरी सूची में शामिल हो सकता हूँ?

नहीं। यह केवल न्यूज़ीलैंड के माओरी और न्यूज़ीलैंड माओरी के वंशजों के लिए है। कुक आइलैंड के माओरी तथा प्रशांत द्वीपों के अन्य निवासियों को, जो मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने योग्य हैं, सामान्य सूची में रखा जाता है।
अधिक जानकारी हमारी “न्यूज़ीलैंड माओरी के रूप में मत देने के लिए पंजीकरण” ("Enrolling to vote as a New Zealand Maori") नामक पुस्तिका में उपलब्ध है।

मतदाता सूचियाँ

अधिक जानकारी के लिए 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर कॉल करें या वेबसाइट www.elections.org.nz देखें

संसदीय मतदाता सूची क्या है?

इस सूची में निर्वाचन क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं के नाम होते हैं। इसमें उनका नाम, निवास का पता और पेशा भी दिया रहता है। इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। संसदीय चुनाव के वर्ष को छोड़कर हर वर्ष एक नई सूची प्रकाशित की जाती है। चुनाव के वर्ष दो सूचियाँ प्रकाशित होती हैं, पहली में सभी लोग यह देख सकते हैं कि उनके बारे में सही विवरण छपा है या नहीं और दूसरी चुनाव के दिन प्रयोग में लाई जाती है।

मतदाता सूची को कहाँ देखा जा सकता है?

प्रत्येक मतदाता पंजीयक के कार्यालय और सार्वजनिक लाइब्रेरी में न्यूज़ीलैंड की सभी सूचियाँ मौजूद रहती हैं। प्रत्येक पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) में भी उस इलाक़े की सामान्य तथा माओरी सूचियों की प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। बड़े पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) में आस-पास के निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियाँ भी उपलब्ध रहती हैं।

इसके अलावा, आप हमारी वेबसाइट - www.elections.org.nz पर भी अपने पंजीकरण का ब्योरा देख सकते हैं।

मतदाता संबंधी सूचनाओं का उपयोग कहाँ होता है?

जब आप पंजीकरण कराते हैं, तब केवल आपका नाम, निवास का पता और पेशा मतदाता सूची में प्रकाशित किया जाता है। यह दस्तावेज़ आम जनता का कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यह जानकारी और इसके साथ आपका आयु वर्ग, डाक का पता या आपके माओरी मूल के होने का तथ्य (यदि लागू होता हो) वैज्ञानिक अथवा स्वास्थ्य बोर्ड के शोधकर्ताओं, चुनाव के उम्मीदवारों, संसद सदस्यों या राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है। यह जानकारी स्थानीय परिषदों को उनके और ज़िला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों, जनमत संग्रह तथा मतदान के लिए भी दी जा सकती है। जूरी के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं की सूचनाओं के आधार पर किया जाता है।

अपना पंजीकरण ब्योरा अद्यतन रखना

यदि मेरा पता बदले तो क्या करना है?

घर बदलने से पहले, किसी भी पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) से न्यूज़ीलैंड पोस्ट का “डाक को नये पते पर भेजने का अनुरोध” ("Mail Re-direction Request") फ़ॉर्म भरें। आपकी डाक आपके नये पते पर भेज दी जायेगी और साथ ही आपके मतदाता पंजीयक को सूचित कर दिया जायेगा कि आपका पता बदल गया है।

यदि आपका नया पता उसी निर्वाचन क्षेत्र में आता है तो आपके मतदाता पंजीयक केवल सूची को अद्यतन करेंगे और पुष्टि की नई सूचना आपको भेज देंगे।

लेकिन अगर आप नये निर्वाचन क्षेत्र में चले गये हैं तो आपको पहले से भरा हुआ व्यक्तिगत पंजीकरण फ़ॉर्म भेजा जायेगा, जिसे आप जाँचेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और वापस भेज देंगे। आपके नये निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीयक आपके हस्ताक्षरयुक्त फ़ॉर्म मिलने के बाद आपका पंजीकरण करेंगे और पुष्टि की सूचना आपको भेज देंगे।

यदि मतदाता पंजीयक को आपका नाम किसी भी सूची में नहीं मिला, तो वे आपके नये पते पर आपको पंजीकरण फ़ॉर्म भेज देंगे।

इसके अलावा, आप नया पंजीकरण फ़ॉर्म भी भर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट- www.elections.org.nz पर जाकर, अपना नया पता ऑनलाइन भर सकते हैं।

यदि मैं अपना नाम या पेशा बदलूँ, तो क्या करना होगा?

यदि आप अपना नाम या पेशा बदल रहे हैं तो इस परिवर्तन के बारे में, जितनी जल्दी हो सके, अपने मतदाता पंजीयक को लिखित सूचना दें। वैकल्पिक रूप से, आप नया पंजीकरण फ़ॉर्म भर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट- www.elections.org.nz पर अपना ब्योरा अद्यतन कर सकते हैं।

यदि मैं अपना ब्योरा अद्यतन करना भूल जाऊँ तो क्या होगा?

यदि आप अपना ब्योरा अद्यतन करना भूल जायेंगे तो हम मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाने के अभियान के दौरान आपसे संपर्क नहीं कर पायेंगे और आपका नाम सूची से हटा दिया जायेगा। आपको दोबारा पंजीकरण कराने की ज़रूरत पड़ेगी।

मतदाता सूची अद्यतन बनाने का अभियान

मतदाता सूची को अद्यतन बनाने का अभियान क्या है?

हर वर्ष न्यूज़ीलैंड के हजारों नागरिकों के जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं। वे घर बदलते हैं, शादी करते हैं, अपना पेशा बदल लेते हैं। बहुत से लोग विदेशों से लौट आते हैं। कभी-कभी वे इन परिवर्तनों की सूचना मतदाता पंजीयक को नहीं देते।

इसीलिए हम नियमित अंतराल पर मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाने के अभियान चलाते हैं। सभी को अपने ब्योरे की जाँच करना और अगर ज़रूरी हो तो उसे अद्यतन बनाना पड़ता है ताकि मतदाता पंजीयक नई मतदाता सूचियों में इन परिवर्तनों को शामिल कर सकें।

मतदाता सूची अद्यतन अभियान हो तो मैं क्या करूँ?

आपको अपने पंजीकरण के ब्योरे को देखना है और ज़रूरी हो तो उसमें सुधार करना है। मतदाता पंजीयक इस काम को आसान बनाने के लिए पुरानी सूची के सभी लोगों को एक फ़ॉर्म भेजते हैं। इस मतदाता अद्यतन फ़ॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी जिस तरह दर्ज है, वह दिखाया जाता है। यदि आप उसमें कुछ सुधार करना चाहें, तो उसके लिए जगह दी जाती है। इसके बाद

फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करें, तारीख़ डालें और जवाब देने के लिए भेजे गये लिफ़ाफ़े में रखकर भेज दें। यदि ब्योरा सही है तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और आप मतदाता अद्यतन फ़ॉर्म में दिये गये ब्योरे के साथ पंजीकृत बने रहेंगे।

यदि मैं अपना मतदाता फ़ॉर्म वापस न भेजूँ तो क्या होगा?

आप मतदाता अद्यतन फ़ॉर्म में दिखाये गये विवरण के साथ ही मतदाता सूची में बने रहेंगे।

यदि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का मतदाता अद्यतन फ़ॉर्म मिले, जो अब उस पते पर नहीं रहता, तो?

आप फ़ॉर्म को उनके नये पते पर भेज दें, या अगर नया पता मालूम नहीं हो तो लिफ़ाफ़े पर “यहाँ से चले गए, पता मालूम नहीं” ("Gone no address") लिखकर वापस भेज दें। यह पत्र मतदाता पंजीयक के पास वापस चला जायेगा और वे उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से निकाल देंगे।

यदि मुझे मतदाता अद्यतन फ़ॉर्म न मिले, तो?

आप एक नया पंजीकरण फ़ॉर्म भर दें। जब आपके मतदाता पंजीयक को आपका भरा हुआ पंजीकरण फ़ॉर्म मिल जायेगा तो आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जायेगा।

निर्वाचन क्षेत्र की सीमायें

मैंने घर नहीं बदला है लेकिन मुझे एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र में रखा गया है। क्यों?

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोग लगभग बराबर संख्या में होने चाहिए। लेकिन कुछ क्षेत्रों में लोगों की संख्या बढ़ जाती है जबकि कुछ में कम हो जाती है और तब सीमाओं में फेरबदल की ज़रूरत पड़ती है।

हर पाँच वर्ष में जनगणना के बाद, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं की समीक्षा की जाती है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है तो क्षेत्रों में लोगों की लगभग समान संख्या बनाये रखने के लिए सीमाओं में परिवर्तन करना पड़ सकता है। अगले चुनाव में इन नई सीमाओं का इस्तेमाल किया जाता है।

अन्य चुनाव

संसदीय उप-चुनाव क्या है?

कभी-कभी दो आम चुनावों के बीच संसद की कोई सीट खाली हो जाती है। तब लोगों को उस निर्वाचन क्षेत्र से नया संसद सदस्य चुनने का अवसर मिलता है। इसे उप-चुनाव कहते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जाती है।

स्थानीय चुनाव क्या है?

जब आप संसदीय मतदाता के रूप में पंजीकरण कराते हैं, तब आपका नाम स्थानीय परिषद की मतदाता सूची में स्वतः दर्ज हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी स्थानीय परिषद और ज़िला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों में भी वोट दे सकते हैं। इसमें शहर या ज़िले के मेयर को और अपनी क्षेत्रीय परिषद, शहर ज़िला परिषद, सामुदायिक बोर्ड, ज़िला स्वास्थ्य बोर्ड और लाइसेंसिंग ट्रस्ट जैसे कुछ अन्य निकायों के सदस्यों को चुनना भी शामिल होता है।

क्या मुझे नागरिकों तथा/अथवा सरकार द्वारा कराये जा रहे जनमत संग्रह में वोट देने का अधिकार है?

एक बार संसदीय मतदाता के रूप में पंजीकरण करा लेने के बाद आपको नागरिकों तथा/अथवा सरकार द्वारा कराये जा रहे जनमत संग्रह में वोट देने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है।

अतिरिक्त जानकारी

और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें?

वोट देने के लिए पंजीकरण कराने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है:

- 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर निःशुल्क कॉल करके।
- हमारी वेबसाइट www.elections.org.nz पर जाकर
- पुस्तिकायें पढ़कर

  -अप्रकाशित मतदाता सूची के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं* (Everything you need to know about the unpublished electoral role*)
  -18 वर्ष से पहले वोट देने के लिए पंजीकरण कराना* (Enrolling to vote before you're 18*)
  -न्यूज़ीलैंड माओरी के रूप में वोट देने के लिए पंजीकरण कराना* (Enrolling to vote as a New Zealand Maori*)

  * पोस्ट ऑफ़िस (PostShop) या मतदाता पंजीयक कार्यालयों में उपलब्ध।

इस पुस्तिका को पढ़ने के लिए धन्यवाद।
हमें आशा है कि इससे वोट देने के लिए पंजीकरण कराने के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब मिल गये होंगे।

यदि आपको किसी और मदद की ज़रूरत है तो 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर हमें निःशुल्क कॉल करें या www.elections.org.nz देखें

क्या यह जानकारी मुझे अन्य भाषाओं में भी मिल सकती है?

यदि आप इस पुस्तिका की प्रति माओरी, कुक आइलैंड्स माओरी, टोंगन, समोअन, चीनी या कोरियाई भाषाओं में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर निःशुल्क कॉल करें और हम इसे तुरंत आपके पास भेज देंगे।

अधिक जानकारी के लिए 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर कॉल करें या www.elections.org.nz देखें

Electoral Enrolment Centre
New Zealand Post Limited
PO Box 190
Wellington 6140
फ़ोन: 0800 ENROL NOW
(0800 36 76 56)
फ़ैक्स: (04) 801 0709
ई-मेल: enrol@elections.org.nz
वेबसाइट: www.elections.org.nz